संख्या-122/2022/2314/26-3-2022-10(1)/2017

प्रेषक

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी

अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

निदेशक

समाज कल्याण

उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 29 नवम्बर 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद-गोरखपुर में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय अनन्तपुर सहजनवां जनपद-गोरखपुर के भवन निर्माण हेतु पंचम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2107-08/स.क./ए0टी0एस0-सेल(31/सिसवा अनन्तपुर सहजनवां गोरखपुर/2022-23, दिनांक-31.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सिसवां अनन्तपुर सहजनवां, जनपद-गोरखपुर के भवन निर्माण हेतु उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये संशोधित आगणित धनराशि के सापेक्ष रू0-708.79 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद-गोरखपुर में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, अनन्तपुर सहजनवां के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-146/2017/1123/26-3-2017-10(1)/2017, दिनांक-13.09.2017 द्वारा आगणित लागत रू0-2468.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-987.40 लाख, शासनादेश संख्या-89/2019/4335/26-3-2018-10(1)/2017, दिनांक-29.03.2019 द्वारा द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0-269.32 लाख, शासनादेश संख्या-92/ 2020/1648/26-3-2020-10(1)/2017, दिनांक-02.07.2020 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0-685.32 लाख एवं शासनादेश संख्या-48/2021/1100/ 26-3-2021-10(1)/2017,दिनांक-24.03.2021 द्वारा संशोधित आगणित लागत रू0-3533.83 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चतुर्थ किश्त के रूप में रू0-883.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तत्क्रम में कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ (यू0पी0 सिडको) द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र दिनांक-31.08.2022 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

3- उक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद-गोरखपुर में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, अनन्तपुर सहजनवां के भवन निर्माण हेतु संशोधित आगणित लागत रू0-3533.83 लाख के सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में रू0-532.09850 लाख (रू0-पांच करोड़ बत्तीस लाख नौ हजार आठ सौ पचास मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(6)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(10)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्ता कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11)-प्रश्ननगत कार्यो में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020 दिनांक-12-05-2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं शासनादेश संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक-04.11.2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृसं0-122/2022/2314(1)/26-3-2022 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिलाधिकारी, गोरखपुर।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।

10- निदेशक, एन0आई0सी0।

11- गार्डफाइल

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।